गेल – हृदय

कॉरपोरेट जिसके हृदय में स्पंदन है

गेल सीएसआर नीति

[कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 135, सीएसआर नियमावली तथा अन्य संगत खंडों के प्रावधानों के अधीन मार्च 2015 में संशोधित]

गेल सीएसआर नीति

1. सीएसआर विज़न विवरण तथा उद्देश्य :

1.1 **विज़न विवरण** - कम्पनी के विज़न के अनुरूप गेल अपने सीएसआर सम्बन्धी प्रयासों से अपनी सेवाओं, प्रचालन तथा प्रयासों के माध्यम से ऐसे समाज और समुदाय में मूल्य सृजन को बढ़ाता रहेगा जिसमें वह कार्य कर रहा है ताकि वह पर्यावरण में गंभीर दिलचस्पी लेते हुए सामाजिक रूप से उत्तरदायी निगम के रूप में अपनी भूमिका निभा सके।

1.2 **उद्देश्य**

- अपने सभी स्टेकहोल्डरों के हितों का ध्यान रखते हुए अपने कारोबार को आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय रूप से निरंतर चलाने के लिए संगठन में सभी स्तरों पर वर्धित प्रतिबद्धता सुनिश्चित करना।
- प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे कार्यक्रम हाथ में लेना जिनसे कार्य केन्द्रों में तथा उनके आस पास के समुदायों को लाभ प्राप्त हो और इसके परिणामस्वरूप आगे आने वाले समय में स्थानीय लोगों के जीवन की गुणता में वृद्धि हो सके तथा उनका आर्थिक कल्याण हो सके।
- अपने सीएसआर प्रयासों के माध्यम से गेल के लिए सामुदायिक सद्भावना पैदा करना और एक निगमित कम्पनी के रूप में गेल की सकारात्मक एवं सामाजिक रूप से उत्तरदायी छवि निर्मित करने में सहायता करना।

2. बोर्ड की सीएसआर समिति की संरचना:

2.1 बोर्ड की निगमित सामाजिक दायित्व समिति की संरचना को कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 15 के उप-अनुच्छेद (1) के प्रावधानों के अनुसार समय-समय पर अधिसूचित किया जाएगा।

2.2 सीएसआर समिति की वर्तमान संरचना के अनुसार अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक इसके अध्यक्ष तथा निदेशक (मानव संसाधन) एव संयुक्त सचिव (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय) इसके सदस्य हैं *।

*बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक (कों) की नियुक्ति होने पर समिति का पुनर्गठन किया जाएगा।

3. योजना

3.1 संसाधन

3.1.1 सार्थक एवं स्थायी सीएसआर परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के माध्यम से सीएसआर उद्देश्य प्राप्त करने के लिए गेल **कंपनी द्वारा ठीक पिछले तीन वित्त वर्षों के दौरान अर्जित निवल लाभ के औसत की 2% राशि व्यय करेगा। (निवल लाभ की गणना कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 198 के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी)**

3.1.2 किसी विशेष वर्ष के लिए खर्च न की जा सकी सीएसआर राशि समाप्त नहीं होगी। बजाए इसके यह राशि अगले वर्ष में केवल सीएसआर गतिविधियों पर व्यय किए जाने के लिए स्थानांतरित कर दी जाएगी।

3.2 ध्यान केन्द्रित किए जाने वाले क्षेत्रों की पहचान

3.2.1 गेल समाज के सुविधाहीन वर्ग के लाभार्थियों के उत्थान के लिए लक्षित सीएसआर परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों को लागू करेगा। गेल के सीएसआर पहलों का अति महत्वपूर्ण लक्ष्य कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में निहित प्रयोजनों और प्रावधानों के अनुसार सुविधा-वंचित सभी वर्गों के लोगों को समाजिक-आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।

सीएसआर गतिविधियों को निष्पादित किए जाने की भावना को ध्यान में रखते हुए सीएसआर पहलों को 'गेल हृदय' (कॉरपोरेट जिसके हृदय में स्पंदन है) शीर्षक का व्यापक आवरण दिया जाएगा।

3.2.2 गेल कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के अधीन पहचाने गए क्षेत्रों में सीएसआर परियोजनाओं का कार्यान्वयन नीचे दिए गए क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए करेगा, जिनके लिए प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए एक शीर्षक निर्धारित किया गया है :-

I. **गेल आरोग्य** (स्वास्थ्य) – पोषक आहार, स्वास्थ्य, स्वच्छता और पेय जल परियोजनाएं

II. **गेल उज्जवल** (उज्जवल भविष्य की ओर)- शिक्षा के लिए पहल
III. **गेल कौशल** (स्किल)- जीवकोपार्जन सृजन और कौशल विकास पहल
IV. **गेल उन्नति** (प्रोग्रेस)-ग्रामीण विकास
V. **गेल सशक्त** (एम्पावरमेंट)-महिला सशक्तीकरण पहल
VI. **गेल सक्षम** (कैपेबल) - वृद्ध एवं अन्यथा योग्य (विकलांग) व्यक्तियों की देखभाल एवं
VII. **गेल हरित** (ग्रीन)- पर्यावरण केन्द्रित पहल

उपर्युक्त ध्यान केन्द्रित किए जाने वाले प्रत्येक क्षेत्रों के अंतर्गत कार्यान्वित किए जाने वाले सीएसआर कार्यक्रमों की प्रकृति का उल्लेख 'गेल सीएसआर नीति के प्रचालन हेतु दिशानिर्देश' में किया गया है।

3.2.3 संगठन में स्थायित्व पहल के एक भाग के रूप में गेल अपने प्रचालनों और प्रोसेस में ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों, अपशिष्ट सामग्री को कम करने/पुन: प्रयोग करने/ रिसाइकल करने, भूमिगत जल आपूर्ति के लिए जल-भण्डार को पुन: भरने, परिस्थितिकीय प्रणाली को सुरक्षित संरक्षित/नवीनीकृत करने, कार्बन उत्सर्जन को कम करने और आपूर्ति श्रृंखला को हरित करने में सहयोग के द्वारा तथापि, इस प्रकार की स्थायित्व पहलों पर किया गया खर्च अधिनियम और सीएसआर नियमों में विनिर्दिष्ट लाभ के 2% सीएसआर व्यय में शामिल नहीं होता है।

4. कार्यान्वयन :

4.1 सीएसआर कार्यक्रमों का कार्यान्वयन गेल के विभिन्न कार्य-केन्द्रों द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में परिभाषित परिवेश के अंतर्गत उपर्युक्त मद सं. 3.2.2 में सूचीबद्ध ध्यान केन्द्रित किए जाने वाले विशेष क्षेत्रों पर किया जाएगा।

4.2 मूल्य के अनुसार सीएसआर कार्यक्रमों का प्रमुख भाग (कम से कम 75%) का कार्यान्वयन गेल संस्थापनों के आस-पास किया जाएगा जो कि अधिकांशत: गेल पाइपलाइन के साथ-साथ दूरस्थ इलाकों में अवस्थित हैं। 'स्थानीय क्षेत्रों (100 कि.मी.

की त्रिज्या के अंतर्गत)' शेष परियोजनाएं कंपनी की आवश्यकताओं/समय-समय पर आने वाली अनिवार्यताओं के अनुसार देश के किसी भी भाग में कार्यान्वित की जा सकती हैं।

4.3 सीएसआर गतिविधियों का कार्यान्वयन पंजीकृत ट्रस्ट/सोसाइटी अथवा कंपनी अथवा स्वायत्तशासी निकायों/सरकारी विभागों सहित विभिन्न एजेंसियों द्वारा कराया जाएगा। एनजीओ/ट्रस्ट/निजी कंपनियों के मामले में समान प्रकार की परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों का किसी उपक्रम में कार्यान्वित किए जाने का 03 वर्ष का स्थापित ट्रैक रिकार्ड आवश्यक होगा।

5. मॉनीटरिंग और फीडबैक

5.1 प्रत्येक कार्य केन्द्र द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाले सीएसआर कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन और पारदर्शिता को सुनिश्चित किए जाने के लिए कंपनी द्वारा एक मजबूत मॉनीटरिंग प्रणाली विकसित की जाएगी और निम्नलिखित सांकेतिक माध्यमों को प्रयोग करते हुए विभिन्न स्तरों पर आवधिक मॉनीटरिंग उपलब्ध कराई जाएगी :

1. **मासिक प्रगति रिपोर्ट**
2. **तिमाही प्रगति रिपोर्ट**
3. **वीडियो कान्फ्रेंसिंग**
4. **स्थल दौरा**
5. **फोटोग्राफ, फिल्म और विडियो सहित दस्तावेजी साक्ष्य**
6. **अन्य आंतरिक मॉनीटरिंग विधियां** कार्य-केन्द्रों की सीएसआर समीक्षा समिति/निगमित कार्यालय की सीएसआर टास्क फोर्स द्वारा किए गए निर्धारण के अनुसार

6. रिपोर्टिंग

6.1 कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 135 के अधीन नियमों के अंतर्गत निर्धारित फॉर्मेट के अनुसार गेल की सीएसआर नीति और कार्यान्वित किए गए कार्यक्रमों को शामिल करते हुए प्रतिवर्ष एक वार्षिक सीएसआर रिपोर्ट निदेशकों की रिपोर्ट में शामिल की जाएगी।

6.2 वार्षिक सीएसआर रिपोर्ट में गेल सीएसआर समिति की संरचना को शामिल किया जाएगा और इसे गेल की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाएगा।

6.3 गेल द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली सीएसआर गतिविधियों को समाहित करने वाले प्रोफार्मे को नीति दस्तावेज के साथ वार्षिक आधार पर संलग्न किया जाएगा।

6.4 बोर्ड के निदेशकों की रिपोर्ट में सीएसआर समिति का एक उत्तरदायित्व विवरण यह कि गेल के सीएसआर उद्देश्यों और नीति का अनुपालन सीएसआर नीति के कार्यान्वयन और मॉनीटरिंग में किया गया है, शामिल होगा।

6.5 यदि किन्हीं कारणों से गेल पिछले तीन वित्त वर्ष के लाभ के औसत के 2% को सीएसआर पर खर्च करने में असफल रहता है तो कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 134(3) (ओ) के अनुसार इसके कारणों का उल्लेख निदेशक मण्डल की रिपोर्ट में करना होगा।

7. सामान्य प्रावधान

7.1 गेल सभी सीएसआर गतिविधियों का निष्पादन 'सीएसआर नीति के प्रचालन हेतु दिशानिर्देश' (जिसे समय-समय पर अधिसूचित किया जाएगा) में उल्लिखित प्रणालियों और प्रविधियों के अनुसार किया जाएगा जो कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 134 के प्रावधानों, सीएसआर नियमावली और निगमित कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए अनुवर्ती स्पष्टीकरणों और संशोधनों के संरेखण के अनुसार पर आधारित होंगी।

7.2 गेल की सीएसआर नीति में वार्षिक आधार पर शामिल की गई सीएसआर गतिविधियों के अलावा, यदि आवश्यक होगा, तो वर्ष के दौरान नई सीएसआर गतिविधियों/ परियोजना को सीएसआर समिति की संस्तुतियों के आधार पर बोर्ड के अनुमोदन के पश्चात शामिल किया जा सकेगा। इसे नीति में संशोधन माना जाएगा।

7.3 सीएसआर परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों अथवा गतिविधियों से प्राप्त शेष राशि कंपनी के व्यावसायिक लाभ का हिस्सा नहीं होंगी।

7.4 सीएसआर नीधि से किसी भी राजनैतिक पार्टी को कोई भी अंशदान नहीं दिया जाएगा।

7.5 अधिनियम के अनुच्छेद 135 के अनुसार केवल गेल कर्मचारियों और उनके परिवारों को लाभ देने वाली सीएसआर परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों अथवा गतिविधियों को सीएसआर गतिविधि नहीं माना जाएगा।

7.6 गेल के प्रत्येक सीएसआर परियोजना कार्यक्रम को कार्यान्वित करने वाली एजेंसी को http://www.gail.nic.in/final site/pdf/Draft Policy2012.pdf पर उपलब्ध गेल धोखाधड़ी रोकथाम नीति के प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगा।

वर्ष 2014-15 के लिए सीएसआर परियोजनाएं/गतिविधियां या कार्यक्रमों की सूची
(गेल सीएसआर नीति खंड 6.3 का अनुबंध)

1	2	3	4	5	6	7	8
क्रम सं.	चयनित की गई सीएसआर परियोजना या गतिविधियां	परियोजना के द्वारा कवर किया गया क्षेत्र	परियोजना या कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य (2) राज्य या जिला जहां परियोजना या कार्यक्रम आरम्भ किये गये थे।	परियोजना या कार्यक्रम के अनुसार राशि आउटले (बजट)	परियोजना या कार्यक्रम की उपशाखाओं में व्यय की गई राशि: 1.परियोजना या कार्यक्रम पर किया गया सीधा व्यय 2. ओवरहेडस^	रिपोर्टिंग अवधि तक संचित व्यय	व्यय की गई राशि: सीधे या कार्यान्वित करने वाली एजेंसी द्वारा
1	बहु-वर्ष प्रसार के अनुसार दीर्घावधि फ्लैगशिप एवं सीएसआर पहल । निगमित कार्यालय द्वारा परियोजनाओं का चयन एवं निगरानी लेकिन पूरे भारत में इसका कार्यान्वयन गेल के चारो ओर के प्रचालनों के बृहद क्षेत्रों के ऊपर केंद्रित	कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 7 की धारा 135 के अनुसार	पैन इंडिया	रु. 97.87 करोड़ (रु. 118.67 करोड़ की वार्षिक सीएसआर आवंटन राशि का 83%)			एनजीओ/कंपनी/ न्यास सरकारी निकाय/सीधे
2	कार्य केन्द्रों द्वारा चयनित स्थानीय परियोजनाएं	कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 7 की धारा 135 के अनुसार	पैन इंडिया	रु. 20.19 करोड़ (रु. 118.67 करोड़ की वार्षिक सीएसआर आवंटन राशि का 17%)			एनजीओ/कंपनी/ न्यास सरकारी निकाय/सीधे

^वास्तविक व्यय के विवरण की प्रविष्टि उपरोक्त के संकलन अनुसार